

Present :- Neeraj Kishore
District & Addl. Sessions Judge- 1st
-cum- Spl. Judge, SC/ST (POA) Act, Sheikhpura
SC/ST Case No. - 124/2025
District - Sheikhpura (Bihar)
(State Vrs. Dharmendra Mistry and others)

01-06-2026

अभिलेख प्रस्तुत किया गया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अनुसंधानकर्ता द्वारा अंतिम रिपोर्ट सं०-39/2025, दिनांक 20.10.2025 को धारा - 126, 115, 74, 351, 352 भा०न्या०सं० एवं धारा - 3 (i) (r) (s) (w) / 3 (2) (va) of SC/ST Act के तहत अंतिम प्रतिवेदन "असत्य" समर्पित किया गया है।

वाद पुकारा गया। वाद पुकार पर सूचक के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए तथा विरोध पत्र सूचक के नवीन वकालतनामा के साथ हाजिरी संलग्न कर दाखिल कर संचालित कर निवेदन किए। सूचक के विद्वान अधिवक्ता को दाखिल विरोध पत्र पर सुना। देखा। प्राथमिकी कांड दैनिकी एवं आरोप पत्र के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही चलाने के लिए कोई पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुसंधानकर्ता द्वारा समर्पित अंतिम प्रतिवेदन को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है तथा सूचक के द्वारा अभिलेख में दाखिल विरोध-पत्र के आलोक में परिवार-पत्र दर्ज करने का निर्देश दिया जाता है। वाद दिनांक वास्ते
परिवादी के शपथ पर बयान हेतु।

लेखापित

✓

D.A.S.J.-1st